IV 20/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 131302

बाबा जोगीबीर स्मृति ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 12/04/2017 को गाजीपुर में श्री काशीनाथ यादव पुत्र स्व0 देवराज यादव, ग्रा0+पो0 –असावर, जनपद–गाजीपुर, उ0प्र0 द्वारा किया गया जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष न्यास विलेख का रचयिता कहा जायेगा और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष पर रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) की धनराशि है जिसे की वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज के उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा यह न्यास/ट्रस्ट "बाबा जोगीबीर स्मृति ट्रस्ट"
के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, अनुदान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा न्यास के कोष सम्पदा एवं संसाधनों को और बढ़ाये ताकि न्यास अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5000.00 (पांच हजार रूपये मात्र) की नकद राशि न्यास को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस न्यास का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय, ग्रा0+पो0–अमहट, जनपद– गाजीपुर, उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

PRINCIPAL
KASHINATH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School
Ghazipur

10-1-17

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 JAN 2017

गाजीपुर

2

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 131303

बाबा जोगीबीर स्मृति ट्रस्ट

उद्देश्य एवं नियमावली

1.न्यास के उद्देश्य :– न्यास निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा –

1. सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण, उत्थान, उन्नति एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु एवं उनका सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक, नैतिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक अभिवृद्धि के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना।
2. उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए नर्सरी से लेकर उच्चतम स्तर तक की प्रत्येक विधा की शिक्षा हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, तकनीकी, चिकित्सकीय महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, बहुतकनीकी कम्प्यूटर, कुशल/इस्किल्ड व्योहारिक, प्राविधिक और व्यवसायिक शिक्षा के लिए संस्थान प्रशिक्षण संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना, उनको मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, स्वीकृत करना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बी0एड्0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, बी0टी0सी0 टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके उसकी शिक्षा देना तथा उन पाठयक्रमों हेतु मान्यता प्राप्त करना।
4. एन0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित सभी पाठ्क्रमों की शिक्षा की स्थापना करना उसका संचालन करना तथा उसकी मान्यता लेना।
5. जी0एन0एम0, ए0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग आदि सभी प्रकार के चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों की स्थापना करना उसका संचालन करना एवं उसकी मान्यता लेना।
6. पुस्तकालयों, वाचनालयों, चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओं अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, छात्रावासों, निराश्रित केन्द्रों पर्यावरण केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना तथा आवश्यक होने पर उन प्रतिष्ठानों संस्थाओं को मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत , अनुमोदित, स्वीकृत कराना।
7. विभिन्न प्रकार की कला, शिल्पकला, व्योहारिक कला, प्रयोगिक कला, मार्शल आर्ट, लोककला, लोकनृत्य, लोक संगीत, संगीत शास्त्रीय आदि को प्रोत्साहन देना, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना उनको प्रोन्नत करना और उनकी विभिन्न उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
8. युवक–युवतियों को तकनीकी, व्यवसायिक कुशल कारीगरी एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना एवं कार्यक्रम तैयार करके उसका क्रियान्वयन करना जिससे वह स्व रोजगार की ओर अग्रसित हो सकें।

PRINCIPAL
KASHI NATH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School
Ghazipur

वरिष्ट कोषाधिकारी
17 JAN 2017
गाजीपुर

यास पत्र

5,000.00	100.00	100	200.00	32
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री काशीनाथ यादव
पुत्र श्री देवराज यादव
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी असावर परगना जहूराबाद जिला गाजीपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 12/4/2017 समय 3:02PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पंकज कुमार सिंह
उप निबन्धक मुहम्मदाबाद
मुहम्मदाबाद
12/4/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी
श्री काशीनाथ यादव
पुत्र श्री देवराज यादव
पेशा कृषि
निवासी असावर परगना जहूराबाद जिला गाजीपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान गुडडू गोंड
सुदेश्वर
पेशा कृषि
निवासी अमहट
व मतिउर्रहमान
फजलुर्रहमान
पेशा कृषि
निवासी मुहम्मदाबाद
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पंकज कुमार सिंह
उप निबन्धक मुहम्मदाबाद
मुहम्मदाबाद
12/4/2017

3

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 131304

9. निर्धन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों एवं सुविधा रहित वर्गों के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं बौधिक उत्थान हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा उसका क्रियान्यवन करना।
10. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास करना और विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शिक्षा- सम्बन्धी विषयों के विकास के लिए कार्यक्रम, गोष्ठियां, सम्मेलन, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
11. पत्राचार द्वारा अध्ययन/अध्यापन को प्रोत्साहित करना और उसके लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करके उसकी व्यवस्थाएं करना।
12. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, फार्मेसी, फिजियोथिरैपी संस्थानों की स्थापना करना, उनका संचालन करना एवं उन्हें सम्बद्ध/आबद्ध करना।
13. न्यास द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों, विधिक महाविद्यालयों चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषाधिकार **Franchise** अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों को प्रदान करना तथा उन विशेषाधिकारों **Franchise** को इस न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं प्रतिष्ठानों हेतु प्राप्त करना।
14. समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सामाजिक कुरीतियों एवं अन्ध विश्वासों के विरूद्ध जागृत करना, शिक्षित करना जिससे वह लोग उससे उपर उठकर स्वविवेक से उन्हें दूर कर सके ।
15. वैकल्पिक, अपरम्परागत एवं सौर उर्जा के श्रोतों एवं संसाधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना उसका संरक्षण करना। उसके विषय में जन मानस को जागृत करना और अधिक से अधिक लोगों को अपरम्परागत, वैकल्पिक एवं सौर उर्जा का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना।
16. नदियों में गन्दे नाले, नालियों एवं कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना उसका संचालन करना तथा जन अभियान चलाकर उसके विरूद्ध जनमानस को जागृत करना। पोखरों, तालाबों और नदियों की सफाई करना तथा इसके लिए अभियान चलाकर जन चेतना जागृत करना।
17. पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना एवं कराना। उसके लिए जनमानस को शिक्षित व जागृत करना, बायोडिग्रेडेबुल वस्तुओं को नष्ट करना तथा प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए प्रयास एवं अनुसन्धान करना तथा उसके लिए जन अभियान चलाना।

PRINCIPAL
KASHI NATH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School
Ghazipur

वरिष्ट कोषाधिकारी
17 JAN 2017
गाजीपुर

न्यासी

Registration No.: 20 Year : 2017 Book No. : 4

0101 काशीनाथ यादव

देवराज यादव

असावर परगना जहूराबाद जिला गाजीपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 131305

18. कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं कृषकों के उत्थान के लिए प्रयास करना उनको नए तकनीकी यन्त्रों, उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों के प्रयोग व उपयोग की विधि एवं मात्रा बताकर उन्हें इस बारे में शिक्षित प्रशिक्षित करना, ऊसर भूमि का सुधार करना व कराना तथा उन्हें उपरोक्त आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना।
19. कृषको को पुष्पों एवं औषधीय पौधों की खेती उसके उपयोग एवं लाभ के बावत जागृत करके शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना उसकी गुणवत्तता के विषय में जनता को जागृत करना।
20. जल संरक्षण के लिए जनता को जागृत करके जल संरक्षण वं जल प्रबन्ध योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं कराना तथा नगरों एवं ग्रामीणांचलों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने के साथ–साथ जल प्रदूषण की रोकथाम करना।
21. बाल श्रमिकों को चिन्हित करके उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार में स्थापित कराना।
22. कुटीर उद्योग को विकसित कराना और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराकर युवक–युवतियों को उसके विषय में शिक्षित प्रशिक्षित करना।
23. मानव के अन्दर निरीक्षण परीक्षण, आत्म नियन्त्रण आज्ञाकारिता की प्रवृत्ति उत्पन्न कराकर उनमें जन सेवा की भावना पैदा कराने के साथ–साथ उनमें रचनात्मक दृष्टि उत्पन्न कराना जिससे वह सामुदायिक विकास एवं कल्याण की ओर अग्रसर हो सके।
24. मानवाधिकार के प्रत्येक उलंघन को सार्वजनिक करके उसके विरूद्ध जन अभियान चलाकर अनुचित प्रकार से सताई गयी जनता एवं व्यक्तियों को न्याय दिलाना।
25. सरकार एवं अन्य प्रकार के संगठनों द्वारा समय–समय पर जनहित में चलाए जा रहे सम्पूर्ण कार्यक्रमों एवं प्रणालियों को सार्वजनिक करके जनमानस को जागृत करना, जिससे पात्र व्यक्ति उसका लाभ उठा सकें।
26. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों ,चिकित्सा महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानो को प्राप्त करना तथा इस न्यास में समायोजित कर सकना।
27. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना एवं प्रदान कर सकना।

PRINCIPAL
KASHI NATH INTERNATIONAL
PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School
Ghazipur

वरिष्ठ कोषाधिकारी
17 JAN 2017
गाजीपुर

गवाह

Registration No.: 20 Year: 2017 Book No.: 4

W1 गुड्डू गोड
सुदेश्वर
अमहट
कृषि

W2 मतिउर्रहमान
फजलुर्रहमान
मुहम्मदाबाद
कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 131306

28. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों /विधि महाविद्यालयों / चिकित्सीय महाविद्यालयों / तकनीकी महाविद्यालयों / कृषि महाविद्यालयों / संस्थानों , प्रतिष्ठानों आदि के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना और अपने विशेशाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना। यदि कोई समिति, न्यास अपने द्वारा संचालित किसी प्रकार के संस्थान प्रतिष्ठान को इस न्यास में समाहित करने के लिए इच्छुक हो तो उसे समिति द्वारा स्वीकृत होने पर न्यास मण्डल / न्यास अध्यक्ष की अनुमति से उस संस्था / समिति प्रतिष्ठान को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और उस दशा में वह संस्था / समिति इस न्यास की संस्था / समिति समझी जाएगी।
29. न्यास के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, उसका विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना।
30. किसी अन्य विद्यालय/ संस्थान/ संस्था में आवश्यकता पड़ने पर वाहन संचालन उपलब्ध करने की सुविधा देना।
31. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में खाता खोलना तथा लेन–देन करना तथा जैसी आवश्यकता हो बैंकों या डाकघरों के साथ किसी तरीके से व्यवहार करना।
32. न्यास के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्ति संस्थान प्रतिष्ठान से राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सरकार, संस्थान अथवा व्यक्ति से धन, उपहार, आग्रह, भेंट, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह आदि प्राप्त कर सकता है तथा उसे न्यास के हित में व्यय कर सकता है।
33. न्यस केवल वितिीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह जन कल्याण की भावना एवं न्यास के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा तथा सामान्य जन के हित में कार्य करेगा, यथा सम्भव लागत मूल्य पर ही सेवाएं / वस्तुएं देने का प्रयास करेगा।
34. प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना।
35. सूचना लोक अधिकारियों प्राधिकारियो के नियत्राधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक लोक अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी के व्योहारिक राज्यक्रम, उनके कार्यों की पारदर्शिता एवं जवावदेही हेतु सूचना का अधिकार होना।

PRINCIPAL
INTERNATIONAL SCHOOL

Manager
Kashinath International School

वरिष्ट कोषाधिकारी
17 JAN 2017
गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 131307

36. स्वास्थ्य आधारित एवं स्वास्थ्यरक, आरोग्य सम्बन्धी दशा के लिए कार्यक्रम तैयार करके उसका क्रियान्यवन करना। सरकार द्वारा चलाए जा रहे न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाएं प्रदान करना। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा उसके लिए कुशल चिकित्सकों एवं योग शिक्षकों की सहायता से निःशुल्क शिविर लगाना तथा जनमानस को शिक्षित व प्रशिक्षित करना।
37. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं , समाचार पत्र आदि को मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रय करना।
38. न्यास द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
39. न्यास कलान्तर में अपनी समस्त आय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही व्यय करेगा।
40. न्यास के विकास एवं लाभ हेतु आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करना।

2.प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. यह कि वर्तमान में न्यास डीड के पंजीकृत होने के दिनांक से श्री काशीनाथ यादव पुत्र स्व0 देवराज यादव जो न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता **(Author of Trust deed)** भी हैं को इस न्यास का मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा अर्चना यादव पुत्री श्री करूणा शंकर सिंह **J12/135A-3B** चूपचन्डी, वाराणसी, श्रीमती संजू यादव पत्नी रामकृष्ण यादव **H.No.18/127A-1g,GH** भरत नगर कालोनी मौजा सारनाथ वाराणसी, सुधीर कुमार सिंह पुत्र श्री संत कुमार सिंह, ग्रा0**+** पो0 –बांकी खुर्द,गाजीपुर ,श्रीमती सोनी देवी **W/O** स्व0 चन्दद्रेव यादव ग्रा0 –पाण्डेय कटयां पो0–कासिमाबाद ,गाजीपुर ,श्रीमती सावित्री **W/O** काशीनाथ यादव ग्रा0**+**पो0–असावर,गाजीपुर, श्रीमती लाली **W/O** भृगुनाथ, ग्रा0–अफलेपुर महुवारी, पो0 –दुबिहाँ,गाजीपुर एंव संजय यादव पुत्र काशीनाथ यादव, ग्रा0**+**पो0–असावर,गाजीपुर, को ट्रस्टी/न्यासी सुनिश्चित किया जाता है।

यह कि वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में जब चाहें अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टीयों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर सकते है।

PRINCIPAL
KASHI NATH INTERNATIONAL
PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School

वरिष्ठ कोषाधिकारी

17 JAN 2017

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AA 156219

3. यह कि किसी भी नये ट्रस्टी के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को इस न्यास का ट्रस्टी बनने/चयन हेतु रू0 100000.00 (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट इस (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आवेदन करना होगा जिसे सभी ट्रस्टीयों के समक्ष रखा जायेगा तथा ट्रस्टीयों द्वारा 3/4 के बहुमत से स्वीकृत होने पर व मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमति के बाद ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्हीं कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गयी धनराशि वापस उसे कर दी जायेगी।

4. यह कि किसी ट्रस्टी को न्यास के पद से मुक्त करने की शर्तें निम्न है –

क. ट्रस्टी की मृत्यु होने पर ।

ख. ट्रस्टी के दिवालिया होने प र ।

ग. ट्रस्टी के विक्षिप्त, इन्सेन या पागल होने पर ।

घ. ट्रस्टी के व्यभिचारी होने पर ।

ड़. ट्रस्टी द्वारा त्यागपत्र देने पर ।

च. ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य में संलिप्त होने पर ।

छ. लगातार 5 मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण :–

I. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

II. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टीयों में से किसी एक ट्रस्टी को प्रदान कर सकता है।

III. यह कि किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस न्यास विलेख रचयिता मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त किये गये हैं।

PRINCIPAL
KASHINATH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School

वरिष्ठ कोषाधिकारी,

0 4 NOV 2016

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 30AA 156220

IV. यह कि यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी श्री काशीनाथ यादव पुत्र स्व0 देवराज यादव , ग्रा0+पो0– असावर,जनपद– गाजीपुर, की मृत्यु के पश्चात् श्री संजय यादव पुत्र काशीनाथ यादव, ग्रा0+पो0– असावर,जनपद– गाजीपुर, उ0प्र0 इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर ट्रस्टीयों का बहुमत प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन होने तक संजय यादव पुत्र क़ाशीनाथ यादव, मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे। उपरोक्त 6 माह के कार्यकाल में श्री संजय यादव पुत्र काशीनाथ यादव, को मैनेजिंग ट्रस्टी को प्रदत्त सभी अधिकार व विशेशाधिकार प्राप्त होंगे। जब तक नये मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन न हो जाए तब तक नव नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा व मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा प्रदत्त अधिकार व विशेषाधिकार प्राप्त होगा।

V. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपना उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है।

VI. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा।

VII. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

VIII. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतयां मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

PRINCIPAL
KASHINATH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School

वरिष्ठ कोषाधिकारी

04 NOV 2016

गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AA 156221

IX. यह कि यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टियों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

X. यह कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टियों में से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने-हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

XI. यह कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टियों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4.बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :-

I. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तों विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे।

II. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टियों की राय/बहुमत से बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह/प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार :- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह न्यास के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, न्यास के कार्यकलापों में से किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 10 ट्रस्टीयों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव केवल इच्छुक अभ्यर्थी के सहमति के आधार पर कर सकता है।

PRINCIPAL
KASHINATH INTERNATIONAL

Manager
Kashinath International Public School

वरिष्ठ कोषाधिकारी

0 4 NOV 2016

गाजीपुर

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AA 156222

6. मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :– यह कि न्यास का कार्यालय ही मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय होगा।

7. कार्य क्षेत्र :– यह कि न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। वह सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी भी राज्य व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

I. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी, न्यास के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने, कराने व देखभाल करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

II. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य अथवा नियम मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

III. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षगण, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/ कार्यशिथिलता, ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक /अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नयी नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्यों एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

9. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति :–

I. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी इस न्यास के दिन प्रतिदिन कार्यों को एवं देखभाल करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक सचिव, एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकता है।

II. यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं अथवा कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

PRINCIPAL
KASHINATH INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

Manager
Kashinath International Public School
Ghazipur

वरिष्ठ कोषाधिकारी

04 NOV 2016

गाजीपुर